संख्या-11/2015/54/सैंतीस-2-2015-1(22)/2014

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 मार्च, 2015

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल लाइवस्टाक मिशन में चारा दाना विकास योजनान्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी उपलब्ध कराया जाना (के.50/लाभार्थी.50-के.) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-06/प0-2/3-डी-64/श.चै.का./चारा/2014-15, दिनांक-07.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-107-चारा तथा चारागाह विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम-0202-चारा दाना विकास योजनान्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी उपलब्ध कराया जाना (के.50/लाभार्थी.50-के.) के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू0-37.50 लाख (रूपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृत श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार जनपदवार लक्ष्यों की पूर्ति तथा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्राप्त केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा एवं प्राविधानित धनराशि की सीमा तक आवंटित अतिरिक्त परिव्यय को वित्तीय वर्ष के अंत में होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय भारत सरकार के पत्र सं0-99-34/2014-एनएलएम/यू.पी., दि0-30.12.2014 एवं पत्र सं0-99-34/2014-एनएलएम/यू.पी., दि0-28.01.2015 द्वारा निर्गत आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

5- स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियमों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये।

6- योजनान्तर्गत शक्तिचालित मशीनों का क्रय लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो,सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

8- एतद्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आयोजनागत-107-चारा तथा चारागाह विकास-02- राष्ट्रीय पशुधनप्रबंधन कार्यक्रम-0202-चारा दाना विकास योजनान्तर्गत शक्ति चालित कुट्टी उपलब्ध कराया जाना (के.50/लाभार्थी.50-के.)-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासनिक विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**सुरेन्द्र सिंह**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-11/2015/54(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुधन एवं दुग्ध विभाग, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।